

राकेश कुमार चर्मकार और अन्य.

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 1303-1304/2025)

31 जनवरी 2025

(न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ* एवं न्यायमूर्ति श्री प्रसन्ना बी. वराले)

विचारणीय बिंदु

क्या अपीलकर्ता, राज्य द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.05.1984 के आलोक में नियमित वेतनमान के हकदार थे।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

सेवा विधि- वेतनमान- रिक्त एवं स्वीकृत पदों पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति- नियमित वेतन की पात्रता- जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा प्रारंभिक रूप से भर्ती किए जाने के पश्चात तीन वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा परिपत्र जारी करना तथा कलेक्टर द्वारा नियत मजदूरी पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाना- उद्देश्य अस्थायी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान करने के लिए प्रावधान करना था - विभाग ने बाद में परिपत्र जारी किया कि विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत नियमित पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को संबंधित पद का नियमित वेतनमान दिया जाएगा - कलेक्टर द्वारा विहित दरों पर अंशकालिक स्वच्छकार के रिक्त पदों पर विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत नियुक्त अपीलकर्ता - विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत नियुक्त कुछ अंशकालिक स्वीपर के संबंध में, उच्च न्यायालय ने राम नरेश प्रजापति के मामले में कलेक्टर के आदेश द्वारा विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान किया- अपीलकर्ताओं ने राम नरेश प्रजापति के मामले के आलोक में नियमित वेतनमान प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया- इसके विरुद्ध रिट याचिका उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की गयी, हालांकि, युगल पीठ ने आदेश अपास्त कर दिया-यथार्थता :

अभिनिर्धारित: वर्तमान अपीलकर्ता राम नरेश प्रजापति के मामले में याचिकाकर्ताओं के समान हैं। राम नरेश प्रजापति के मामले में याचिकाकर्ताओं को भी विशेष भर्ती अभियान के तहत रिक्त पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। युगल पीठ द्वारा आक्षेपित आदेश में बरकरार रखा गया एकमात्र तथ्यात्मक अंतर यह है कि उन याचिकाकर्ताओं की बाद में अटेंडेंट, बुल-अटेंडेंट, नौकर आदि के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की गई। यह तथ्यात्मक अंतर यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ता राम नरेश प्रजापति के मामले से अलग स्थिति में हैं, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने पर्याप्त रूप से साबित कर दिया है कि वे अपने प्रारंभिक नियुक्ति आदेशों द्वारा नियमित और स्वीकृत पदों पर नियोजित थे। अपीलकर्ता संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए परिपत्र में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। अपीलकर्ताओं को नियमित पदों पर नियुक्त किया गया था, भले ही वे अस्थायी थे। 1979 के नियमों और 10.05.1984 के परिपत्र के प्रावधान अपीलकर्ताओं द्वारा पूरे किए गए और इस प्रकार, नियमित वेतनमान के हकदार हैं। उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने राम नरेश प्रजापति के मामले को वर्तमान अपीलों से भिन्न बताने में गलती की। इसके अतिरिक्त, परिपत्र दिनांक 07.10.2016 से दैनिक वेतनभोगियों को नियमित वेतनमान का लाभ मिला। यदि ऐसा लाभ अपीलकर्ताओं को नहीं दिया जाता है, जो रिक्त और स्वीकृत पदों के विरुद्ध अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए गए थे, तो यह अन्यायपूर्ण, अनुचित और मनमाना होगा— यदि राज्य तीन वर्ष पूर्ण करने के पश्चात नियमित वेतनमान का लाभ देने से इंकार भी कर दे, तो भी अपीलार्थीगण दिनांक 07.10.2016 के इस परिपत्र से लाभान्वित होंगे, क्योंकि उन्हें प्रारंभ में कलेक्टर दर पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को नियमित वेतनमान का सही लाभ दिया है। युगल पीठ का आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया और एकल न्यायाधीश का आदेश बरकरार रखा गया- म.प्र. पशु चिकित्सा विभाग के आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1979 [कंडिका 14, 15, 17, 18]

उद्धृत न्यायदृष्टान्त

राम नरेश प्रजापति एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, रिट अपील संख्या 197/2016
दिनांक 10.12.2021 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ द्वारा- अनुमोदित

अधिनियमों की सूची

म.प्र. पशु चिकित्सा विभाग के आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1979

कीवर्ड की सूची

वेतनमान; नियमित पदों पर अस्थायी नियोजन; नियमित वेतन का अधिकार; संशोधित वेतनमान; जिला स्तर पर चयन समिति; नियत मजदूरी पर अस्थायी कर्मचारी; विशेष भर्ती अभियान; रिक्त पद; अंशकालिक स्वीपर; राम नरेश प्रजापति का मामला; अटेंडेंट, बुल-अटेंडेंट, नौकर के स्वीकृत पद; अस्थायी कर्मचारी; नियमित पद; नियमित वेतन; आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती; अंशकालिक स्वच्छकार; कलेक्टर की दरें; स्थायी आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी; स्वीकृत पद

किससे उद्भूत मामला

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार: सिविल अपील क्रमांक 1303-1304/ 2025

डब्ल्यू संख्या 1486/ 2019 और आर पी संख्या 90/ 2020 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्य पीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 02.12.2019 और 10.12.2021 से क्रमशः

पक्षकारों की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण

एस.के. गंगोले, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री प्रिया शर्मा, अर्जुन सैन, सुश्री साधना संधू
एओआर, सुश्री शशि किरण, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण
सुश्री मृणाल गोपाल एल्कर, चिन्मय चैतन्य, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ

1. अनुमति प्रदान की गयी।
2. इन अपीलों के द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा रिट अपील संख्या 1486/19 में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2019 को चुनौती दी गयी है जिसके द्वारा प्रत्यर्थी (मध्य प्रदेश राज्य) द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थीगण परिपत्र दिनांक 10.05.1984 के अनुसार नियमित वेतनमान पाने के पात्र नहीं हैं। आगे, खंडपीठ ने उनके मामले को राम नरेश प्रजापति और अन्य बनाम मध्य

प्रदेश राज्य' के मामले से भिन्न बताया और समान तथ्यों के आधार पर अपीलार्थीगण को नियमित वेतनमान का लाभ देने से इनकार कर दिया। अपील में खंडपीठ द्वारा पुनर्विलोकन याचिका क्रमांक 90/ 2020 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 को भी चुनौती दी गयी है जिसके अंतर्गत अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन खारिज किया गया।

3. वर्तमान अपील के लिए संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:

3.1 11.06.1980 को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रत्यर्थी राज्य ने "म.प्र. पशु चिकित्सा विभाग के आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1979" ("1979 नियम") शीर्षक से नियम बनाए। म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती और उन्हें संशोधित वेतनमान देने के संदर्भ में परिपत्र दिनांक 10.05.1984 (सं.192/601/1/एस.आर.डी./84) जारी किया। परिपत्र का खंड 6 इस प्रकार है:

"इस सेवा के कर्मचारियों की भर्ती कलेक्टर द्वारा प्रारंभिक तीन वर्ष तक नियत मजदूरी पाने वाले कर्मचारी तथा उसके बाद संशोधित वेतनमान में परिशिष्ट एक के अनुसार अस्थाई कर्मचारी मानते हुए की जाएगी। पूर्व में नियुक्त ऐसे कर्मचारी जो परिशिष्ट दो में दी गई पात्रता रखते हों, उन्हें जिला स्तरीय समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा, तथापि, चयनित होने के पश्चात उन्हें सेवा में आने के तीन वर्ष पश्चात सेवा का सदस्य माना जाएगा।"

3.2 इसमें यह भी कहा गया कि इस सेवा के कर्मचारियों की भर्ती जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा की जा सकती है। प्रभावी रूप से, परिपत्र द्वारा जिला स्तर पर चयन समिति द्वारा प्रारंभिक रूप से भर्ती किए जाने और कलेक्टर द्वारा नियत मजदूरी पर अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए जाने के तीन वर्ष बाद कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ प्रदान किया।

3.3 इसके अतिरिक्त, परिपत्र में कहा गया है कि जिन सदस्यों को 01.04.1982 तक स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है, उन्हें अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, यदि वे निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और आवश्यक पात्रता रखते हैं, उन्हें संशोधित वेतनमान का लाभ भी दिया जाना चाहिए। इससे परिपत्र के उद्देश्य को स्पष्ट करने में मदद मिलती है क्योंकि राज्य, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ देने का प्रावधान कर रहा है।

3.4 वर्ष 1996 में मध्य प्रदेश राज्य ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े वर्ग-III एवं वर्ग-IV के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया था, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित थे। चयन समिति गठित की गई थी। कलेक्टर कार्यालय द्वारा भेजी गई चयन सूची के अनुसार उप संचालक पशु चिकित्सालय द्वारा जारी विशेष भर्ती अभियान के तहत दिनांक 09.12.1996 के आदेश द्वारा अपीलार्थी क्रमांक 6 रमेश प्रसाद प्रजापति की नियुक्ति

- की गई थी। आदेश में कहा गया था कि अपीलार्थी क्रमांक 6 को चार अन्य के साथ कलेक्टर द्वारा विहित दैनिक मजदूरी दर पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था।
- 3.5 दिनांक 14.09.1998 को म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत नियमित पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों को संबंधित पद का नियमित वेतनमान दिया जाएगा।
- 3.6 चूंकि कुछ पद अभी भी रिक्त थे, अतः दिनांक 30.07.2005 को म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा दिनांक 31.07.2005 से बढ़ाकर 31.12.2005 कर दी थी। इससे पूर्व दिनांक 19.02.2002 एवं 24.03.2005 को भर्ती के लिए दिशा-निर्देशों को विस्तृत करते हुए दो जापन जारी किए गए थे।
- 3.7 उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, उमरिया के आदेश दिनांक 03.12.2005 द्वारा विशेष अभियान के अंतर्गत नियुक्ति हेतु कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन में अंशकालिक स्वच्छकार के बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु चार अधिकारियों की चयन समिति गठित की गई थी। चयन समिति निम्नानुसार गठित की गई थी: कलेक्टर के प्रतिनिधि अध्यक्ष, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं उमरिया सचिव (सदस्य), परियोजना प्रशासक बैगा विकास प्राधिकरण सदस्य तथा जिला रोजगार अधिकारी सदस्य होंगे।
- 3.8 उप संचालक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, जिला उमरिया द्वारा पत्र दिनांक 15.12.2005 द्वारा जिला रोजगार अधिकारी को अवगत कराया गया कि जिले में अंशकालिक स्वीपर के कुल 8 पद रिक्त हैं। चयन हेतु जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था।
- 3.9 उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं के आदेश दिनांक 08.02.2006 द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर द्वारा विहित दरों पर अंशकालीन स्वच्छकार के रिक्त पदों पर नौ अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। इस सूची में अपीलार्थी क्रमांक 1- राकेश कुमार चर्मकार एवं अपीलार्थी क्रमांक 5- प्रदीप कुमार प्रजापति शामिल थे। इसी प्रकार के आदेश दिनांक 24.02.2006 द्वारा अपीलार्थी क्रमांक 2- आनंद कुमार पटवा को स्वीपर के स्वीकृत एवं रिक्त पद पर नियुक्ति दी गई थी। इसी प्रकार के आदेश दिनांक 30.06.2006 द्वारा छह अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। इस सूची में अपीलार्थी क्रमांक 3- आनंद सिंह एवं अपीलार्थी क्रमांक 4- अजीत साहू शामिल थे। आदेश दिनांक 06.02.2007 द्वारा तीन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी, जिनमें अपीलार्थी क्रमांक 8- दुर्यमणी पटेल एवं अपीलार्थी क्रमांक 9- ओम प्रकाश पटेल शामिल थे। दिनांक 06.02.2007 के एक अन्य आदेश द्वारा अपीलार्थी क्रमांक 7- झल्लू प्रसाद कोल सहित छः अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। उपर्युक्त चार आदेशों द्वारा चयन समिति की अनुशंसा के अनुसरण में कुल चौबीस

अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई, जिसमें बैकलॉग पदों को भरने के लिए 'अंशकालिक स्वच्छकार' पद का उल्लेख किया गया है। चारों आदेशों में कहा गया है कि अपीलार्थियों को चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर द्वारा विहित दरों पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। इस प्रकार सभी नौ याचिकाकर्ताओं को दिनांक 08.02.2006, 30.06.2006 और 06.02.2007 के आदेशों द्वारा कार्य प्रभारित आकस्मिकता से भुगतान वाली स्थापना में बैकलॉग रिक्तियों में अंशकालीन स्वच्छकार के रूप में नियुक्त किया गया।

4. *राम नरेश प्रजापति* सहित कुछ अंशकालिक स्वीपर, जिन्हें विशेष भर्ती अभियान के तहत 1993 से 1996 तक नियुक्त किया गया था, ने परिपत्र दिनांक 10.05.1984 के आलोक में तीन वर्ष की सेवा पूरी करने की दिनांक से नियमित वेतनमान दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। एकल न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 21.01.2016 द्वारा रिट याचिका (डब्ल्यू.पी. संख्या 9827/2012 जिसका शीर्षक *राम नरेश प्रजापति* बनाम मध्य प्रदेश राज्य है) को स्वीकार करते हुए कहा कि यह परिपत्र दिनांक 10.05.1984 के अनुसार था कि याचिकाकर्ताओं को तीन वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वीपर का नियमित वेतनमान मिलता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अंशकालिक आधार पर प्रारंभिक नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ताओं को फिर से अटेंडेंट, बुल अटेंडेंट, नौकर, कैटल अटेंडेंट, चौकीदार और स्वीपर के रूप में नियुक्त/उन्नत किया गया था। उन्हें स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 361/2010 में उसी उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2012 पर भी निर्भर किया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को परिपत्र दिनांक 10.05.1984 के आलोक में नियमित वेतनमान के लिए हकदार माना गया था। इस प्रकार, एकल न्यायाधीश ने माना कि उनके समक्ष रिट याचिका में याचिकाकर्ता भी नियमित वेतनमान के लाभ के हकदार थे।
5. मध्य प्रदेश राज्य ने *राम नरेश प्रजापति* की याचिका में पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 के विरुद्ध अपील (रिट अपील संख्या 197/2016) दायर की। युगल पीठ ने आदेश दिनांक 21.03.2017 के द्वारा अपील खारिज कर दी तथा एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता दैनिक मजदूरी पर अंशकालिक स्वीपर के रूप में कार्यरत थे। तत्पश्चात्, उन्हें चयन समिति द्वारा जांच के अधीन किया गया तथा आदेश दिनांक 30.06.2004 के द्वारा कलेक्टर दर पर नियुक्त किया गया। उन्होंने माना कि परिपत्र दिनांक 10.05.1984 के खंड-6 के अंतर्गत, यदि कोई कर्मचारी तीन वर्ष की अवधि तक कलेक्टर दर पर काम करना जारी रखता है, तो उसे अस्थायी कर्मचारी माना जाएगा तथा वह संशोधित वेतनमान का हकदार होगा। इस प्रकार, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि रिट याचिका को अनुमति देने में एकल न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है। प्रभावी रूप से, उच्च न्यायालय ने कलेक्टर के आदेश से विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्ति के बाद तीन वर्ष की समयावधि पूरी करने पर नियमित वेतनमान का लाभ दिया।

6. मध्य प्रदेश राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या 39328/2017 प्रस्तुत की। दिनांक 10.01.2018 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने 1,00,000/- रुपये के खर्चे के साथ एसएलपी को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि मध्य प्रदेश राज्य ने बिना किसी कारण के इस न्यायालय पर बोझ डाला है और राज्य का पैसा बर्बाद किया है।
7. अब वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं, अपीलकर्ताओं ने *राम नरेश प्रजापति* बनाम मध्य प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2016 के अनुसरण में स्वीपर के पद पर नियमित वेतनमान प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। इन अभ्यावेदनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15.11.2016 को अस्वीकार कर दिया गया था।
8. इसलिए, 30.04.2018 को, वर्तमान अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि वे परिपत्र दिनांक 10.05.1984 के तहत नियमित वेतनमान पाने के पात्र हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भर्ती नियमों के अनुसार स्वीकृत पद पर वैध रूप से गठित चयन समिति द्वारा चयन के अनुसरण में विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त किया गया था। उन्हें केवल इसलिए अनुतोष से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें अंशकालिक स्वीपर के रूप में नामित किया गया था। वे चयन समिति के समक्ष उनकी स्क्रीनिंग के बाद उनकी सेवाओं के नियमितीकरण या स्थायी कर्मचारियों के रूप में घोषणा के माध्यम से नियमित कर्मचारियों के रूप में माने जाने के हकदार हैं। उन्होंने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को “स्थायी कर्मचारी” के रूप में नियमित करने के संबंध में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 07.10.2016 पर भी निर्भर किया। परिपत्र में उल्लेख किया गया है कि ये कर्मचारी जो 16.05.2007 से दैनिक मजदूरी के आधार पर काम कर रहे हैं और 01.09.2016 को भी काम कर रहे हैं, वे अपनी वरिष्ठता के अनुसार नियमितीकरण के पात्र होंगे और उन्हें नियमित वेतनमान का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्थायी आकस्मिक वेतन कर्मचारियों की परिभाषा के अनुसार, उन्होंने स्थायी कर्मचारियों का दर्जा प्राप्त कर लिया है और तीन वर्ष की सेवा पूरी करने पर नियमित वेतन पाने के हकदार हैं क्योंकि उन्होंने दस साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है।
9. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश राज्य ने तर्क किया कि विभाग में अंशकालिक स्वीपर का कोई पद मौजूद नहीं है और अपीलकर्ताओं को काम की आवश्यकता के लिए रखा गया था। याचिकाकर्ता दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। उन्हें किसी स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, *राम नरेश प्रजापति* के मामले के साथ समानता के प्रश्न पर, राज्य ने प्रस्तुत किया कि *राम नरेश प्रजापति* में याचिकाकर्ताओं के लिए, राज्य द्वारा एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया गया था और स्क्रीनिंग समिति द्वारा सेवा शर्तों और पात्रता मानदंडों की जांच करने के बाद, उन्हें अटेंडेंट, बुल अटेंडेंट, नौकर आदि जैसे विशिष्ट स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया था। साथ ही, उप संचालक ने दिनांक 16.02.2010 की संसूचना के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सिफारिश की। जबकि

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं के मामले की जांच करने के लिए कोई स्क्रीनिंग समिति गठित नहीं की गई है। वे 07.10.2016 के परिपत्र में शामिल होने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हैं। वे *राम नरेश प्रजापति* मामले में याचिकाकर्ता की तुलना में अलग स्थिति में हैं।

10. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आदेश दिनांक 12.07.2019 के द्वारा रिट याचिका स्वीकार की। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं को रिक्त पदों के विरुद्ध विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती किया गया था। *राम नरेश प्रजापति* के तथ्यों के साथ समानता दर्शाते हुए, एकल पीठ ने राज्य के इस दावे को अस्वीकार कर दिया कि अपीलकर्ताओं की स्थिति *राम नरेश प्रजापति* में याचिकाकर्ताओं से भिन्न है। उन्होंने राज्य के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि अपीलकर्ता लाभ के हकदार नहीं हैं क्योंकि उन्हें अस्थायी/अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया था। यह तर्क राज्य द्वारा *राम नरेश प्रजापति* में भी दिया गया था और उच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने माना कि राज्य ने 07.10.2016 के आदेश द्वारा दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ दिया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ताओं ने सफलतापूर्वक यह स्थापित कर दिया है कि वे अंशकालिक स्वीपर नहीं हैं और उन्हें रिक्त पदों के विरुद्ध चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया गया था। इसलिए एकल न्यायाधीश ने राज्य को परिपत्र दिनांक 10.05.1984 के अनुसार तीन वर्ष पूरे होने के बाद बकाया सहित नियमित वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया कि वर्तमान अपीलकर्ता, *राम नरेश प्रजापति* के समान स्थिति में हैं और इसलिए समान लाभ पाने के हकदार हैं।
11. राज्य ने डब्ल्यू.ए. संख्या 1486/2019 के रूप में दर्ज रिट अपील प्रस्तुत की। युगल पीठ ने आक्षेपित आदेश दिनांक 02.12.2019 के द्वारा एकल न्यायाधीश के निर्णय को पलटते हुए अपील स्वीकार कर ली। उन्होंने अपीलकर्ताओं के परिपत्र दिनांक 10.05.1984 के अनुसार नियमित वेतनमान पाने के दावे को अस्वीकार कर दिया। उनके अनुसार वर्तमान मामला *राम नरेश प्रजापति* के तथ्यों से अलग है, क्योंकि *राम नरेश प्रजापति* के मामले में याचिकाकर्ताओं को शुरू में अंशकालिक के रूप में नियुक्त किया गया था और फिर 2003 से 2005 के मध्य अटेंडेंट, बैल अटेंडेंट, कैटल अटेंडेंट, चौकीदार और स्वीपर के रूप में पदोन्नत किया गया था और तत्पश्चात ऐसी नियमित सेवा के तीन वर्ष पूरे होने पर उन्हें लाभ दिया गया था, जबकि वर्तमान अपीलकर्ताओं के साथ ऐसा नहीं है, जो अंशकालिक स्वच्छकार के रूप में बने रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अपीलकर्ता परिपत्र दिनांक 10.05.1984 में निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए वे नियमित वेतनमान के हकदार नहीं हैं। वर्तमान अपील में युगल पीठ के इस निर्णय को चुनौती दी गई है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं ने युगल पीठ के इस आदेश के विरुद्ध पुनर्विलोकन याचिका दायर की। पुनर्विलोकन याचिका को भी उच्च न्यायालय ने दिनांक 17.01.2020 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। इस आदेश को भी वर्तमान अपीलों में चुनौती दी गई है।
12. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

13. यह स्पष्ट है कि सभी नौ अपीलकर्ताओं को कलेक्टर के निर्देश और आदेश के अनुपालन में पशु चिकित्सा विज्ञान के उप संचालक द्वारा जारी आदेश के तहत कलेक्टर द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों पर अंशकालिक स्वीपर के रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ताओं को स्वीकृत और रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया था, हालांकि अस्थायी आधार पर। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं को विशेष भर्ती अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित पदों के लिए नियुक्त किया गया था। यह राज्य के तर्क का खंडन करता है कि अपीलकर्ताओं को केवल काम की आवश्यकता के लिए गैर-स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया था।
14. इस मुद्दे पर कि क्या वर्तमान अपीलकर्ता *राम नरेश प्रजापति* में याचिकाकर्ताओं के समान हैं, हम एकल न्यायाधीश के आदेश दिनांक 12.07.2019 में दिए गए निष्कर्ष से सहमत हैं। *राम नरेश प्रजापति* में याचिकाकर्ताओं को भी विशेष भर्ती अभियान के तहत रिक्त पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। राज्य द्वारा इंगित और युगल पीठ द्वारा आक्षेपित आदेश में बरकरार रखा गया एकमात्र तथ्यात्मक अंतर यह है कि समिति द्वारा जांच के बाद उन याचिकाकर्ताओं को अटेंडेंट, बुल-अटेंडेंट, नौकर आदि के स्वीकृत पदों पर नियुक्त किया गया। राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के अपने उत्तर में स्वयं कहा है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं की पात्रता और योग्यता की जांच करने के लिए ऐसी कोई स्क्रीनिंग समिति गठित नहीं की गई है। हालांकि अपीलकर्ता कहते हैं कि यदि राज्य ऐसा निर्देश देता है तो वे ऐसी जांच के लिए तैयार हैं। हमारी सुविचारित राय में, यह तथ्यात्मक अंतर यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलकर्ता *राम नरेश प्रजापति* से भिन्न स्थिति में हैं, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने पर्याप्त रूप से साबित कर दिया है कि वे अपने प्रारंभिक नियुक्ति आदेशों द्वारा नियमित और स्वीकृत पदों पर कार्यरत थे। इस प्रकार वे 10.05.1984 के परिपत्र के खंड 6 के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे जिला स्तरीय भर्ती समिति की अनुशंसा के साथ कलेक्टर के वेतन पर 'अस्थायी' कर्मचारी के रूप में नियोजित होने के बाद तीन वर्ष पूरे कर चुके हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे संशोधित वेतनमान प्रदान करने के लिए परिपत्र में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। 'अंशकालिक' स्वीपर के रूप में उनका पदनाम उनकी नियुक्ति की वैधता को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि उन्हें फिर भी स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था। इस प्रकार अपीलकर्ताओं को नियमित पदों पर नियुक्त किया गया था, भले ही वे अस्थायी थे। 1979 के नियमों और 10.05.1984 के परिपत्र के प्रावधानों को अपीलकर्ताओं द्वारा पूरा किया गया है और इस प्रकार वे नियमित वेतनमान के हकदार हैं। उच्च न्यायालय की युगल पीठ ने *राम नरेश प्रजापति* के मामले को वर्तमान अपीलों से भिन्न बताने में गलती की है।
15. इसके अतिरिक्त, परिपत्र दिनांक 07.10.2016 में दैनिक वेतनभोगियों को नियमित वेतनमान का लाभ दिया गया है। यदि ऐसे लाभ उन अपीलकर्ताओं को नहीं दिए जाते हैं, जिन्हें रिक्त और स्वीकृत पदों के विरुद्ध अस्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो यह अन्यायपूर्ण, अनुचित और मनमाना होगा। भले ही राज्य तीन वर्ष पूरे करने के बाद

नियमित वेतनमान का लाभ देने से इनकार कर दे, लेकिन अपीलकर्ताओं को इस परिपत्र दिनांक 07.10.2016 से लाभ मिलेगा, क्योंकि उन्हें शुरू में कलेक्टर की दर पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था।

16. यहाँ अपीलकर्ता वर्ष 2016 से नियमित वेतनमान के लिए यह लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने राज्य को पर्याप्त वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उनकी स्थिति राज्य द्वारा जारी परिपत्र और नियमों के अंतर्गत आती है। इस प्रकार, यह उन्हें नियमित वेतनमान प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्रदान करता है।
17. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, हमारी राय है कि युगल पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 12.07.2019 को अपास्त करके गलती की है। एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को नियमित वेतनमान का सही लाभ दिया है।
18. इस प्रकार हम युगल पीठ के आदेश दिनांक 02.12.2019 को अपास्त करते हैं और एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हैं, जिसमें अपीलकर्ताओं को नियमित वेतनमान का लाभ देने वाली रिट याचिका स्वीकार की गयी थी ।
19. अपीलें उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती हैं।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

[†] शीर्ष टिप्पणियाँ तैयार की गयीं: द्वारा निधि जैन

* लेखक

1. रिट अपील संख्या 197/2016

(विनीता यादव द्वारा अनुवादित)